हरियाणा सविलि सेवा (अवकाश) नयिम, 2016 में संशोधन

चर्चा में क्यों?

27 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रमिंडल की बैठक में हरियाणा सविलि सेवा (अवकाश) नयिम, 2016 में संशोधन को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बदिु

- इस संशोधन के अंतर्गत अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी दो साल की बाल देखभाल छुट्टी की अनुमति होगी।
- यह नयिम हरियाणा सविलि सेवा (अवकाश) प्रथम संशोधन नयिम, 2022 कहे जाएंगे।
- इस संशोधन के अनुसार एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी (अववाहित, वधिुर या तलाकशुदा) और महलिा सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े बच्चों की देखभाल लयि अपनी पूरी सेवा के दौरान अधकितम दो साल (यानी 730 दनि) के लयि चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं।
- इसके अलावा, दवि्यांग बच्चों के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं होगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-civil-services-leave-rules-2016